**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़**
**पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.**

अपील संख्या 04/2012
आरसीएमएस नं0 2012/00132
अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

गुरजीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह, जाति कम्बोजसिख निवासी बशीर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी जरिये राजकीय अधिवक्ता।

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 09.01.2012
द्वारा सहायक कलक्टर टिब्बी
प्रकरण संख्या 77/2011
बअनवानी गुरजीत सिह बनाम तहसीलदार

श्री खुशप्रीत सिंह संधु अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री रविन्द्र कुमार भोबिया राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः– 19.7.22

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट पेश किया जिसमें चक नं. 1 एफटीपी –बी– के खाता संख्या 71 प0 नं0 204/233 के किला नं. 6, 7, 14,

Kario
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

15 कुल 1.012 है0 भूमि पर पिछले 30 वर्षों से कब्जा काश्त होना बताया तथा उक्त भूमि पर जोहड़ कभी भी नहीं होना, कब्जा काश्त होने के कारण भूमि की घोषणा करवाना चाहते हुए प्रश्नगत भूमि से अपीलाण्ट प्रार्थी को बेदखल नहीं करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र खारिज किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि कभी भी जोहड़ पायतन की भूमि नहीं रही है। तथा पिछले 30 वर्षों से से भी ज्यादा समय से अपीलाण्ट के कब्जा काश्त में है व राजस्व रिकार्ड में जोहड़ पायतन गलत दर्ज है। इसलिए अपीलाण्ट वादग्रस्त भूमि अपने नाम से घोषणा करवाने का अधिकारी है। अगर सरकार की भूमि पर 30 वर्ष से ज्यादा कब्जा है तो सरकार 30 वर्षों के बाद कब्जाधारी को बेदखल नहीं कर सकती है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलाण्ट की गेहूँ की फसल काश्त की हुई है तथा रेस्पोडेण्ट अपीलाण्ट को बेदखल करना चाहता है। अगर अपीलाण्ट को वादग्रस्त भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो अपीलाण्ट को अपूर्णीय क्षति होगी। विचारण न्यायालय ने रिकार्ड का सही तरीके से अवलोकन नहीं किया है। विचारण न्यायलाय का आदश गलत, विधि विरूद्ध व न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत पारित किया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का अपीलधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रश्नगत भूमि जोहड़ पायतन की भूमि है एवं जोहड पायतन की भूमियों के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायलाय जोधपुर व माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय के अनुसार जोहड़ पायतन की भूमि के खतोदारी अधिकार किसी को नहीं दिये जा सकते हैं। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अपीलाण्ट ने प्रश्नगत भूमि पर 30 वर्षों से अपनी कब्जा काश्त होना बताते हुए इसकी घोषणा करवाने का हकदार बताते हुए भूमि से बेदखल नहीं करने का अनुतोष मांगा था जो विचारण न्यायालय ने खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं बहस में आये तथ्यों के अनुसार प्रश्नगत भूमि राजस्व रिकार्ड में

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

जोहड़ दर्ज है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर व माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के अनुसार जोहड़ पायतन की भूमि किसी भी काश्तकार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने पर रोक है यदि पूर्व में जोहड़ पायतन की भूमि किसी काश्तकार के नाम है तो उसे पुनः जोहड़ पायतन दर्ज करवाने की कार्यवाही की जावे। अपीलाण्ट जोहड़ पायतन की भूमि के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष्ण के आधार पर अपील अपलाण्ट खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.01.2012 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.7.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

19/7/22

(करतार सिंह पुनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़